भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 958
(जिसका उत्तर मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

<u>कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व निर्वहन का निष्पादन</u>

958. श्री प्रभात झा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक दायित्व निर्वहन के संबंध में निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्र की कंपनियों का प्रदर्शन स्तरीय नहीं है और अपेक्षा से नीचा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या कंपनियों के सामाजिक दायित्व से संबंधित वर्तमान नीतिगत व कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त व अप्रभावी है; और
(घ) यदि हां, तो नीतिगत व कानूनी व्यवस्था को पर्याप्त व प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार शीघ्र क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (घ) : कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रावधान 01.04.2014 से लागू हुए हैं। अधिनियम के अधीन कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यान्वयन का यह प्रथम वर्ष है। इस संबंध में कंपनियों के निष्पादन का आकलन कंपनियों द्वारा सितंबर, 2015 के पश्चात् दायर किए जाने वाले कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर सांविधिक वार्षिक विवरणी, के पश्चात् ही किया जा सकता है।

कानून के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष होने के कारण वर्तमान नीति की पर्याप्तता और प्रभावकारिता पर टिप्पणी करना असामयिक होगा। तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के सुगम कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया है।

*****